

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/ डिक्री/टी ए/8476/2006/चित्तौडगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेगू जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

श्री लक्षमण पुत्र श्री नान जी निवासी धारला तहसील बेगू जिला
चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

प्रत्यर्थागण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक: 24.01.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 19-5-2006 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थागण वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी बेगू के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के पिता के समय

से उक्त आराजी आवंटन होकर उनके कब्जे काशत में चली आ रही है। उक्त आराजी भू प्रबन्ध से आवंटित होकर वादीगण के कब्जे काशत में है। भू प्रबन्ध को भी करीब 35 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक प्रतिवादी ने वादी को बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया है। जबकि नियमानुसार आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदार हो जाता है। वादीगण ने लिखित में भी प्रतिवादी के यहां खातेदार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी ने यह कहते हुये मना कर दिया कि इतने वर्ष तक आपके नाम क्योकर खातेदारी दर्ज नहीं हुई। इसलिये वादपत्र में अंकित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी के आवंटन को 35वर्ष का समय अवश्य व्यतीत हो चुका है लेकिन वादी स्वयं को आवंटन शर्तों की पालना करते हुये खातेदारी हेतु आवेदन करना था,उसके द्वारा खातेदारी हेतु आवेदन किया हो ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।लगभग 35 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी आवंटन के 35वर्ष तक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये क्यो चुप रहा, स्पष्ट नहीं है। वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल दो तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 25-6-2005 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर राज्य सरकार की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-5-06से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थागण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जिसके अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि वादी को अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना वाद स्वयं सिद्ध करना है। प्रतिवादी की किसी प्रकार की कमजोरी का फायदा नहीं ले सकता है। वादी अपने आप को वादग्रस्त आराजी का आवंटी बता रहा है जबकि पत्रावली पर कोई आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है। केवलमात्र कयासों के आधार पर आवंटन बताकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री प्राप्त की है जो प्रभावशून्य है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में किस्म पहाड दर्ज है। इस कारण वादग्रस्त आराजी आवंटन योग्य नहीं थी। दावा दायरी से पूर्व वादग्रस्त आराजी बिला नाम दर्ज थी। इस कारण आवंटन की आड में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य हैं।

5. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. राज्य सरकार की ओर से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण के वाद का मुख्य आधार यह है कि वादीगण अपने पिता के समय से उक्त आराजी आवंटन होकर उनके कब्जे काशत में चली आ रही है। उक्त आराजी भू प्रबन्ध से आवंटित होकर वादीगण के कब्जे काशत में है। भू प्रबन्ध को भी करीब 35 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक प्रतिवादी ने वादी को बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया है। जबकि नियमानुसार आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदार हो जाता है। वादीगण ने लिखित में भी प्रतिवादी के यहां खातेदार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी ने यह कहते हुये मना कर दिया कि इतने वर्ष तक आपके नाम क्योंकि खातेदारी दर्ज नहीं हुई। इसलिये वादपत्र में अंकित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी के आवंटन को 35वर्ष का समय अवश्य व्यतीत हो चुका है लेकिन वादी स्वयं को आवंटन शर्तों की पालना करते हुये खातेदारी हेतु आवेदन करना था,उसके द्वारा खातेदारी हेतु आवेदन किया हो ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। लगभग 35 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी आवंटन के 35वर्ष तक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये क्यों चुप रहा, स्पष्ट नहीं है। वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. वादीगण ने आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। लेकिन वादी द्वारा आवंटन आदेश की कोई प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है। यदि वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया होता तो आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। द्वितीय यदि आवंटन होता तो प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि आवंटी को काशत करनी होती है लेकिन ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं

है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 8 में यह अंकन किया है कि वादी को 35वर्ष पूर्व आवंटन हो स्वीकृत तथ्य है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है। विधि अनुसार आदेश 6 नियम 1 जाब्ता दीवानी के तहत न्यायालय अभिवचनों से बाहर जाकर सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। गवाह डी डब्लू-1 पटवारी हल्का श्री रामेश्वर लाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि भूमि वादीगण के कब्जे में है परन्तु काशत नहीं की जा रही है। तहसीलदार के समक्ष खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भू अभिलेख निरीक्षक ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार हेतु आवेदन नहीं करना एवं खातेदारी अधिकार नहीं लेना संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण तथ्यों पर आधारित नहीं होने से खारिज किय जाता है। पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकें। वादी को अपने वाद को सिद्ध करने के लिये आवंटन आदेश की प्रति, भूमि यदि आवंटन की गई है तो सम्पूर्ण भूमि को आवंटन के बाद काशत करने की साक्ष्य, गत खसरा नम्बर व वर्तमान खसरा नम्बर आदि प्रस्तुत करने चाहिये थे। लेकिन उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं करने से उसके द्वारा प्रस्तुत वाद को सिद्ध नहीं माना जा सकता है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुरूप नहीं होने से निरस्त योग्य हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष